



Neutral Citation No. - 2026: AHC:6339

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 16757 सन् 2024

पवन कुमार

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता

:- कमलेश कुमार त्रिपाठी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री कमलेश कुमार त्रिपाठी आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री विजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह आवेदक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 22981 /2023 में दिनांक 11.10.2023 को पारित विस्तृत आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जिसकी प्रति जमानत आवेदन के अनुलग्नक-1 के रूप में अभिलेख पर लाई गई है।

आवेदक पवन कुमार ने यह द्वितीय जमानत आवेदन थाना अजीतमल, जिला औरैया में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 420, 467, 468, 471, 342, 504, 506 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 204 /2023 में अवर न्यायालय के समक्ष विचारण की लम्बितता के दौरान जमानत पर रिहाई की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस द्वितीय जमानत आवेदन के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रथम जमानत आवेदन में किए गए समस्त निवेदनों को दोहराया है, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा पुनः उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा वह 21.04.2023 से कारागार में है।

आवेदक के विद्वान विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि धन आठ व्यक्तियों के खाते में अन्तरित किया गया है, किन्तु कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि आवेदक के खाते में कितनी राशि जमा हुई। प्रकरण में आरोप-पत्र दिनांक 13.07.2023 को दाखिल किया जा चुका है तथा आवेदक के विरुद्ध दिनांक 18.01.2025 को आरोप-विरचन किया जा चुका है। विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। अभी तक अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं की गई है। उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है तथा जमानत पर रिहाई की स्थिति में न्याय के मार्ग से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अ.शा.अ. ने जमानत प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता एवं सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षी के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **पवन कुमार** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदारों, जो समान राशि के होंगे, प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डर नहीं डालेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक संबंधित न्यायालय अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे। उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

08 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

Translated Version, Not For Legal Use.